हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.5(33)एचजेयू/जीएडी/मीटिंग/वि.प.–V/2023/2233 दिनांकः 14.07.2023

विद्यापरिषद् की पंचम बैठक दिनांक 13.06.2023 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की पंचम बैठक दिनांक 13.06.2023 को दोपहर 02.30 बजे ''मन्थन'' सभागार, द्वितीय तल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं पदेन अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2.	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक एवं नाम निर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3.	डॉ. फिरोज अख्तर	संयुक्त सचिव एवं नाम निर्देशित प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4.	डॉ. राजेश कुमार व्यास	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5.	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
6.	डॉ. ऋचा यादव	संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय एवं संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 015 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

7.	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय एवं संयोजक BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद, एचजेयू, जयपुर
8.	डॉ. रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
9.	श्रीमती गरिमा श्री	संयोजक BoS, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
10.	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, BA-JMC एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
11.	श्री अयूब खान	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

बैठक का आरम्भ कुलसचिव महोदय द्वारा विद्यापरिषद के विभिन्न पदाधिकारियों के स्वागत तथा कुलपति महोदय द्वारा उद्बोधन में विश्वविद्यालय की विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की चर्चा के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित विद्यापरिषद के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
5–1	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 23.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	<u>निर्णय / टिप्पणी</u> सर्वसम्मति से विद्यापरिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 23.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

D: N./VP-V/Minutes/2023

5–2	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की विशेष बैठक – चतुर्थ दिनांक 03.02.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विद्यापरिषद की विशेष बैठक – चतुर्थ दिनांक 03.02.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
5–3	विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की चतुर्थ बैठक की अनुशंसा तथा प्रबंध बोर्ड की पंचम बैठक के निर्णयानुरूप विभिन्न शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन जारी किए जाने के स्थान पर सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से (पुस्तकालयाध्यक्ष पद को भी सम्मिलित करते हुए) शुरू करने, नवीन विज्ञापन जारी किये जाने तथा पूर्व विज्ञापन के विरूद्ध आवेदकों को आवेदन शुल्क लौटाए जाने पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। माननीय कुलाधिपति एवं माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य श्री राजेश कुमार व्यास द्वारा सुझाव दिया गया कि भर्ती संबंधी कार्रवाई माननीय कुलाधिपति एवं माननीय राज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाकर ही करवाई की जाए। कुलपति महोदया द्वारा अवगत करवाया गया कि इस संबंध में माननीय कुलाधिपति एवं माननीय राज्यपाल महोदय को पूर्व में ही पत्र (संलग्न) भिजवा दिया गया है, परन्तु उत्तर प्रतीक्षित है। इस पर श्री व्यास ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस संबंध में कार्रवाई करवा दी जाएगी।
5–4	विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए चयन समितियों हेतु विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदित विषय विशेषज्ञों के पैनल को ही नवीन भर्ती प्रक्रिया के लिए भी उपयोग किए जाने पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए चयन समितियों हेतु विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदित विषय विशेषज्ञों के पैनल को ही नवीन भर्ती प्रक्रिया के लिए भी उपयोग किए जाने का अनुमोदन किया गया। कुलपति महोदया ने सदन को अवगत करवाया कि उक्त पैनल सील बंद है तथा अभी तक कोई भर्ती प्रक्रिया संपादित नहीं होने के कारण उपयोग में नहीं लिया गया है।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5–5	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदित विषय विशेषज्ञों के पैनल को ही पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर भी चयन समिति के लिए स्वीकृत किए जाने पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5–6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुरूप विश्वविद्यालय के शोध ऑर्डिनेंस का पुनवरालोकन / पुनरीक्षण / संशोधन हेतु गठित समिति की अनुंशानुसार समन्वयक, शोध केन्द्र द्वारा प्रस्तुत नवीन संशोधित शोध ऑर्डिनेंस के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से शोध ऑर्डिनेंस प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
5–7	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप समन्वयक (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) के प्रस्तावनुसार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 तीन वर्षीय स्नातक एवं दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्ययोजनाएं संचालित किए जाने पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
5–8	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS), सैमेस्टर सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एवं एग्ज़िट, सतत मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग सिस्टम आदि के क्रियान्वयन के लिए शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू किए जाने हेतु परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के ऑर्डिनेंस के प्रारूप पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के ऑर्डिनेंस के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5—9	विश्वविद्यालय में शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार एवं साहित्यिक चोरी रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 को अंगीकृत किए जाने पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 को अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।
5—10	विश्वविद्यालय की अंतिम एवं आंतरिक परीक्षाओं में उपयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं को, ऐसे विद्यार्थियों, जिनका परीक्षा परिणाम RL (Result Later), न्यायाधीन, RTI प्रकरण आदि, अथवा अन्य किसी कारण से, उत्तरपुस्तिका की जरूरत होने के अतिरिक्त, परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने अथवा पुर्नमूल्यांकन का परिणाम घोषित किए जाने, जो भी बाद में हो, के 06 माह उपरान्त नष्ट (destroy) निपटारा (dispose off) कर दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / टिप्पणी सदस्य सैद्धान्तिक रूप से प्रस्ताव से सहमत थे। परन्तु विश्वविद्यालय की अंतिम एवं आंतरिक परीक्षाओं में उपयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य संबंधित सामग्री के नष्ट (destroy) निपटारा (dispose off) कर दिए जाने संबंधी प्रस्ताव में उद्धरत सामग्री एवं निर्धारित अवधि पर विचार उपरान्त सामग्री की मात्रा तथा उक्त प्रक्रिया में व्यय के आकलन पर आधारित एवं वित्तीय व्यवहार्यता (Financial Feasibilty) का मूल्यांकन कर प्रस्ताव को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किए जाने का अनुशंसा की गई। सदस्यों का सुझाव था कि उक्त सामग्री को नष्ट / निपटारा किए जाते समय इसकी लुगदी बनाई जाए।
5—11	विश्वविद्यालय द्वारा एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज़ (AIU) की सदस्यता प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उक्त सदस्यता हेतु वार्षिक शुल्क रुपये 59,000/— एवं प्रोसिंग फीस (एक मुश्त) रु. 11,800/— का व्यय संभावित है।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5–12	विश्वविद्यालय एवं United Nations Population Fund (UNFPA) के मध्य युवा पत्रकार, मीडिया छात्र/छात्राएं एवं विश्वविद्यालय फैकल्टी हेतु पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, इंटरंशिप, संयुक्त अनुसंधान इत्यादि के लिए MoU (संलग्न) किया जाना विचार एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
	निर्णय / टिप्पणी कुलपति महोदया द्वारा सदन को सूचित किया गया कि United Nations Population Fund (UNFPA) की Country Head, Andrea Wojnar की उपलब्धता के कारण दिनांक 12.06.2023 को ही उक्त MoU किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव को प्रतिवेदनीय एजेंडा के रूप में स्वीकार किया जाए, जिस का सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया तथा MoU किए जाने पर हर्ष जताया एवं इस की सराहना की।
	प्रतिवेदनीय एजेंडा
5–13–1	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि पाठ्ययोजनाओं में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश नीति का अनुमोदन।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति की पुष्टि की गई।
5–13–2	विश्वविद्यालय द्वारा जनस्वास्थ्य और जनसंचार विषय में सत्र 2023–24 से हाइब्रिड मोड पर PG Diploma in Public Health and Mass Communication आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। जिसका शुल्क रुपये 28,000/– प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी निश्चित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 (NHM) एवं अन्य कैडर के कार्मिकों / विद्यार्थियों को नामित कराने तथा इनका शुल्क भुगतान किए जाने के लिए प्रेषित किए गए पत्र की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किए गए पत्र की पुष्टि की गई। कुलपति महोदया ने बताया कि उक्त पाठ्ययोजना हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन/ ऑनलाइन मोड) में चलाई जाएगी, जिसमें यथा आवश्यकता फील्ड वर्क, असाइनमेंट, Case Study आदि करवाए जाएंगे। इसका प्रारूप NEP 2020 के अनुरूप तैयार करते हुए स्ववित्तपोषी योजना (SFS)के अन्तर्गत संचालित किया जाएगा। इस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5–13–3	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ञ) के अनुसरण में सत्र 2023–24 में संचालित विभिन्न पाठ्ययोजनाओं के शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुरूप तैयार शुल्क संरचना संबंधी आदेश क्रमांक 1347 दिनांक 07.06.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1347 दिनांक 07.06.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–4	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 7(ख) व (ग) के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप समन्वयक (प्रशासनिक एवं शैक्षणिक) के प्रस्तावानुरूप सत्र 2023–26 एवं 2023–25 में विभिन्न पाठ्ययोजनाएं मय स्तर, अवधि, सीट आदि संचालित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1292 दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1292 दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–5	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी शोध अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के संदर्भ में शोध ऑडिनेंस के पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन / संशोधन हेतु समिति गठन आदेश क्रमांक 18999 दिनांक 20.01.2023 एवं आदेश क्रमांक 20466 दिनांक 24.03.2023 की पुष्टि।
	संकल्प / निर्णय सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 20466 दिनांक 24.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–6	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2023 एवं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (Student Grievance Redressal Committee – SGRC) के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 1040 दिनांक 27.05.2023 की पुष्टि।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1040 दिनांक 27.05.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–7	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.04.2023 एवं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए गठित विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (Student Grievance Redressal Committee – SGRC) के निर्णयों के विरूद्ध अपील हेतु लोकपाल नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1055 दिनांक 27.05.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1055 दिनांक 27.05.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–8	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के समयबद्ध और सुचारू संचालन के लिए विवरणिका (Prospectus) के निर्माण/अद्यतन किए जाने हेतु समिति गठन आदेश क्रमांक 19159 दिनांक 24.01.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 19159 दिनांक 24.01.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–9	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के समयबद्ध और सुचारू संचालन के लिए प्रवेश नीति, 2023–24 के निर्माण/अद्यतन किए जाने हेतु समिति गठन आदेश क्रमांक 19131 दिनांक 24.01.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 19131 दिनांक 24.01.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–10	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए विभिन्न पाठ्योजनाओं के शुल्क संरचना निर्धारण हेतु समिति गठन आदेश क्रमांक 19145 दिनांक 24.01.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 19145 दिनांक 24.01.2023 की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5–13–11	"महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013" [The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013] की धारा–4 के अनुसरण में विश्वविद्यालय में "आंतरिक परिवाद समिति" के गठन के आदेश क्रमांक 17933 दिनांक 02.12.2022 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 17933 दिनांक 02.12.2022 की पुष्टि की गई।
5–13–12	विश्वविद्यालय के दिनांक 02.03.2023 को आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह की विस्तृत रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रतिवेदित किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
	निर्णय / टिप्पणी सभी सदस्यों ने प्रथम दीक्षांत समारोह के रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की।
5–13–13	विश्वविद्यालय में सत्र 2022–23 में आयोजित विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण सदन के समक्ष प्रतिवेदित किया जा रहा है।
	निर्णय / टिप्पणी सभी सदस्यों ने विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियों के विवरण की सराहना की।
5–13–14	राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) लागू किए जाने के क्रम में विश्वविद्यालय में संचालित शोध उपाधि (Ph.D) पाठ्ययोजना के लिए एसोसिएट समिति संबंधी आदेश क्रमांक 1011 दिनांक 27.05.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1011 दिनांक 27.05.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–15	राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) लागू किए जाने के क्रम में विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्ययोजना के लिए एसोसिएट समिति संबंधी आदेश क्रमांक 998 दिनांक 27.05.2023 की पुष्टि।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 998 दिनांक 27.05.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–16	विश्वविद्यालय में कुलपति महोदया के निर्देशानुसार संस्थागत विकास योजना (Institutional Development Plan) समिति के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 403 दिनांक 27.04.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 403 दिनांक 27.04.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–17	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के "उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या पर रोक लगाने संबंधी विनियम, 2009" की अनुपालना में विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी के गठन संबंधी आदेश क्रमांक 839 दिनांक 19.05.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 839 दिनांक 19.05.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–18	विश्वविद्यालय के शोध ऑर्डिनेंस के बिन्दु संख्या 05 के प्रावधानानुरूप विभागीय शोध समिति की बैठक की संस्तुति अनुरूप डॉ. शालिनी जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1334 दिनांक 06.06.2023 की पुश्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 839 दिनांक 19.05.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–19	विश्वविद्यालय में जनस्वास्थ्य और जनसंचार में सर्टिफ़िकेट पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और संभावित स्नातकोत्तर डिग्री में एक ओपन इलैक्टिव पेपर के लिए राजस्थान फाउंडेशन से सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भिजवाए जाने के लिए प्रेषित पत्र क्रमांक 20319 दिनांक 17.03.2023 की पुष्टि।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 20319 दिनांक 17.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–20	विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत मीडिया जगत के पेशेवर एवं अनुभवी व्यक्तियों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे एडजंक्ट फैकल्टी की कार्यावधि, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आगामी आदेश अथवा अधिकतम 01 वर्ष तक के लिए अवधि विस्तार संबंधी आदेश क्रमांक 18580 दिनांक 23.12.2022 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 18580 दिनांक 23.12.2022की पुष्टि की गई। माननीय कुलाधिपति एवं माननीय राज्यपाल मोहदय द्वारा नामनिर्देशित सदस्य श्री राजेश व्यास का सुझाव था कि इसमें नए लोगों को भी जोड़ा जाए।
5–13–21	विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में यूजीसी योग्यताधारी (UGC Regulations 2018 के अनुरूप), सेवानिवृत (65 वर्ष आयु से अनधिक) अथवा किसी संस्थान में पूर्णकालिक रूप से नियमित नियुक्ति के आधार पर स्थाई रूप से अन्यत्र कार्यरत 08 अतिथि शिक्षकों को सत्र 2022–23 के लिए सूचीबद्ध किए जाने के स्वीकृति आदेश क्रमांक 17881 दिनांक 29.11.2022 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 17881 दिनांक 29.11.2022 की पुष्टि की गई।
5–13–22	Rajasthan Higher Technical Quality Improvement scheme के तहत राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों से विभिन्न क्षेत्रों में 2.00 करोड रु. तक के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किए गए। उक्त में से रु. एक करोड़ विश्वविद्यालय को स्वीकृत कर दिए गए हैं। प्रेषित प्रस्तावानुरूप आगामी कार्रवाई की जा रही है। अब तक की गई कार्रवाई की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा Rajasthan Higher Technical Quality Improvement scheme के तहत प्रस्तावों के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5–13–23	विश्वविद्यालय द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 11.04.2023 को ग्रामीण पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को सशक्त बनाए जाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट (संलग्न) प्रतिवेदित की जा रही है।
	<u>निर्णय / टिप्पणी</u> सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा ग्रामीण पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों को सशक्त बनाए जाने हेतु आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला की रिपोर्ट की सराहना की।
5–13–24	विश्वविद्यालय में प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक संकल्प संख्या 1–2 (ii) में स्वयं के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेंस आदि तैयार होने तक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा जहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेंस उपलब्ध नहीं हों, वहां राजस्थान सरकार के नियम/परिनियम आदि अंगीकृत किए जाने का निश्चय किया गया था। विश्वविद्यालय शैक्षणिक पदों पर भर्ती करना चाहता है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा UGC अधिसूचना, 2018 को अंगीकृत (Adopt) कर लिया गया है। परन्तु इसके संबंध में नवीन/संशोधित ऑडिनेंस तैयार नहीं किया गया है। ऐसे में कुलपति महोदया द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को, भर्ती प्रक्रिया के लिए अद्यतन ऑर्डिनेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण, शैक्षणिक पदों के लिए न्यूनतम अर्हता/योग्यता को UGC रेग्यूलेशन, 2018 के अनुरूप रखते हुए, सेवाशर्तें राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के वर्तमान में उपलब्ध ऑर्डिनेंस एवं भविष्य में किए जाने वाले संशोधन स्वीकार करते हुए तद्नुरूप निर्धारित रखते हुए भर्ती कार्रवाई किए जाने की अनुमति दिए जाने के लिए प्रेषित किया गया पत्र क्रमांक 550 दिनांक 02.05.2023 सदन के समक्ष प्रतिवेदनीय है।
	<u>निर्णय / टिप्पणी</u> इस संबंध में कुलपति महोदया द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय को प्रेषित किए गए पत्र को भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से दोनो पत्रों की पुष्टि की गई। (पत्र संलग्न)
5–13–25	विश्वविद्यालय में विद्यार्थी संख्या में अभिवृद्धि एवं शिक्षण कार्य सुचारू करने हेतु प्रवेश नीति 2023–24 के नियम 1.1.1 एवं 2.1.1 में शिथिलन दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1278 दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1278 दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–26	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु प्रवेश कार्यक्रम जारी किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 1306 दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1306 दिनांक 06.06.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–27	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू सम्पादन हेतु श्रीमती गरिमा श्री, सहायक प्रोफेसर को कुलानुशासक (प्रॉक्टर) के कार्यवधि विस्तार का आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–28	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के सम्पादन हेतु डॉ. अनिल कुमार मिश्र को कार्यकारी छात्र कल्याण अधिष्ठाता के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–29	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विष्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 5 में विहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारा 19 के प्रावधानों के अनुसरण में विश्वविद्यालय में शोध संबंधी गतिविधियों के सुचारू सम्पादन हेतु डॉ. अजय कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर को समन्वयक, शोध के कार्यवधि विस्तार का आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–30	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन एवं प्रशासनिक और शैक्षणिक परिसर के मध्य समन्वय हेतु डॉ. अनिल कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर को समन्वयक, (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक) बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–31	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु डॉ. अनिल कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर को कार्यकारी संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय एवं डॉ. ऋचा यादव, सहायक प्रोफेसर को कार्यकारी संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–32	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न विभागों के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–33	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में विद्यार्थियों के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट हेतु डॉ. रतन सिंह शेखावत को समन्वयक, प्लेसमेंट सैल बनाए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–34	विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप कार्रवाई हेतु डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर को प्रभारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 नियुक्त किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 20449 दिनांक 22.03.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–35	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सलाहकार के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(2)(ख) के प्रावधानानुसार डॉ. विवेक की परामर्शी सेवाओं में एक वर्ष विस्तार किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 233 दिनांक 18.04.2023 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 233 दिनांक 18.04.2023 की पुष्टि की गई।
5–13–36	विश्वविद्यालय में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 17(2)(ख) के प्रावधानानुसार प्रो. दीपक भटनागर की एक वर्ष के लिए परामर्शी सेवाएं लिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 751 दिनांक 12.05.2023 विद्यापरिषद् को सूचनार्थ।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 751 दिनांक 12.05.2023 की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5–14 **अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से**

1. कुलपति महोदया द्वारा 15 जून, 2023 को आयोज्य कॅरियर एवं जॉब फेयर 2023 में विश्वविद्यालय द्वारा सहभागिता किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय / टिप्पणी

सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से कुलपति महोदया के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य श्री राजेश कुमार व्यास का सुझाव था कि भविष्य में इस प्रकार के आयोजन कुलपति महोदया के स्तर पर ही स्वीकृत कर दिए जाएं।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से निम्नानुसार बिन्दुओं पर चर्चा की गई :

1. संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय द्वारा निवेदन किया गया कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा अधिकांश मसलो में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमों, प्रक्रियाओं आदि को अंगीकृत किया गया है। ऐसे में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों कॅरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत प्रौन्नति भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप कार्रवाई करते हुए दे दी जानी चाहिए।

   कुलपति महोदया ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को स्वीकृति दिए जाने बाबत पत्र भिजवाया गया है तथा इस संबंध में त्वरित कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा है। प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के नामनिर्देशित सदस्य, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग द्वारा भी अब तक की गई कार्रवाई से सदस्यों को अवगत करवाया गया तथा उक्त कार्य के शीघ्र ही संपादित हो जाने की संभावना जताई।

2. माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य श्री राजेश कुमार व्यास का सुझाव था कि विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के क्षेत्र में उदित हो रहे नवीन आयामों यथा विज्ञान पत्रकारिता आदि के अध्ययन को भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए।

   कुलपति महोदया ने बताया कि विश्वविद्यालय में उर्दू पत्रकारिता, जनस्वास्थ्य संचार आदि पाठ्यक्रम आरम्भ किए जा रहे है तथा शीघ्र ही फिल्म स्टडीज जैसी नवीन विधाओं को भी पाठ्ययोजनाओं में सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

	पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा)
5–15	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए प्रॉस्पैक्टस समिति द्वारा तैयार प्रॉस्पैक्टस को माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 11(19) में प्राप्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी आदेश क्रमांक 1364 दिनांक 09.06.2023 की पुष्टि।
	निर्णय / टिप्पणी सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1364 दिनांक 09.06.2023 की पुष्टि की गई।

सुधि राजीव

(प्रो. सुधि राजीव)
कुलपति

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

(अयूब खान)
RAS
कुलसचिव

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)